झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.12.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	गैरमजरूआ भूमि की अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी की अभियान चलाकर जाँच करने एवं जमाबन्दी को रद्द करने के संबंध में दिशानिर्देश राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 2074/रा0 दिनांक- 13.05.2016 से निर्गत है। उक्त आदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य के सभी अंचलों द्वारा गैरमजरूआ भूमि की पूर्व से चली आ रही जमाबन्दी को चिन्हित करते हुए लगान रसीद निर्गत करना बन्द कर दिया गया एवं जमाबन्दी को रद्द करने की कार्रवाई बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के तहत शुरू की गई दिनांक- 03.07.2018 को हुई झारखण्ड राज्य मंत्री परिषद् की बैठक में मद संख्या-18 में अन्यान्य के रूप में निर्णय लेते हुए गैरमजरूआ भूमि की अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी के रद्द करने के संबंध में निर्गत निदेश पत्रांक- 2074/रा0 दिनांक- 13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबन्दी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैन्युअल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाइन लगान	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

		रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक-2884(5)/रा0 दिनांक- 10.07.2018 के द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी उपायुक्त को नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया गया। परन्तु वर्त्तमान में अधिसंख्य रैयतों का लगान रसीद निर्गत होना बन्द है। विशेषकर वैसे ग्रामीण क्षेत्र के रैयतों/कृषकों जिन्होंने बंजर/असिंचित भूमि को अपने श्रम से उसे कृषि योग्य सिंचित उपजाऊ भूमि के रूप में विकसित किया तथा वर्षो पूर्व से लगान का भुगतान करते आ रहे थे एवं आज उससे वह अपनी आजिविका चला रहे है, का लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। केवल वैसे शहरी क्षेत्र के लोगों का लगान रसीद निर्गत हो पा रहा है जो बड़े-बड़े चंक में गैरमजरूआ सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए थे तथा जिनका पहुँच आसानी से अंचल कार्यालयों तक था। अवैध/अनियमित जमाबन्दी को रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबन्दी को नियमित करने हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का संकल्प संख्या-6144/रा0 दिनांक- 21.12.2017 द्वारा नीति निर्धारण की गई है, जिसके तहत् सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों (अनुसूचित जनजाति)/अनुसूचित जाति तथा अत्यन्त पिछड़ी जाति एनेक्सर-1) के सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि कार्य के लिए 05 एकड़ तक की भूमि एवं आवास हेतु 12.5 डी0 भूमि की जमाबन्दी को नियमित करने का निदेश है। परन्तु इस दिशा में भी पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है।	

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या- 3842 (5)/ रा0 दिनांक- 24.11.2023 के द्वारा सरकारी भूमि हस्तान्तरण नीति 2023 अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना की कंडिका-3 के उप कंडिका **II(iv)** में गैरमजरूआ भूमि/सरकारी भूमि के लीज बन्दोबस्ती/स्थायी हस्तान्तरण के एवज में संगणित कुल देय राशि का 100% राशि सीधे सरकार के खाते में अधियाची से जमा कराने संबंधी प्रावधान किया गया है। भूमि पर अवस्थित भवन का मूल्यांकन भवन निर्माण विभाग द्वारा कराते हुये अधियाची संस्था द्वारा इसके मूल्य की राशि को राज्य सरकार के कोष में जमा कराने का प्रावधान है। भूमि पर अवस्थित वृक्ष का मूल्यांकन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराते हुये अयियाची संस्था द्वारा इसके मूल्य की राशि को राज्य सरकार के कोष में जमा कराने का प्रावधान है। उक्त अधिसूचना के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक- 423/रा0 दिनांक- 12.02.2015 द्वारा केन्द्र सरकार के लोक उपक्रमों के परियोजनाओं हेतु अधियाचित गैरमजरूआ/सरकारी भूमि के स्थायी हस्तान्तरण में भूमि पर तीस वर्षो से अधिक अवधी से दखलकार पाये गये एवं जोत आबाद कर रहे रैयतों को जिनके नाम से पंजी-II में तीस वर्षो से अधिक समय से जमाबंदी चल रही है, कायमी रैयतों के समान अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान है, जिसका जिक्र वर्तमान सरकारी भूमि हस्तान्तरण नीति 2023 में नहीं किया गया है। रैयती खतियानी भूमि के मामलों में भी ग्रामीण क्षेत्र के रैयतों का ऑनलाइन पंजी- II में काफी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। जैसे-प्लॉट संख्या की प्रविष्टि नहीं होना अथवा गलत होना, प्लॉटवार -	

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		रकबा की प्रविष्टि नहीं होना, रैयतों के नाम में त्रुटि होना तथा लगान रसीद निर्गत नहीं होना, इत्यादि। लगान रसीद निर्गत नहीं होने के कारण आमजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा आपसी भूमि विवाद बढ़ रही है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में जनजातीय सलाहकार समिति (TAC) की बैठक में 1950 ई0 में स्थापित थाना क्षेत्रों के परिसिमा के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की क्रय-विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 के प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रतीत होता है। इससे अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के भूमि की लूट बढ़ेगी। अनुसूचित जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्य छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा- 46 (b) के तहत् आच्छादित है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के 2012 में दिए गए न्याय निर्देश के पूर्व इनकी भूमि उपायुक्त के बिना पूर्वानुमति के सभी वर्ग के लोगों के साथ हस्तान्तरित की जा रही थी, जिसकी संख्या कई हजारों में हो सकती है जिसका दाखिल-खारिज एवं लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से झारखण्ड राज्य में भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु मांग करता हूँ।	
02-	**श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0**	झारखण्ड राज्य में पहले मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी योजना के तहत् गंभीर/असाध्य रोगों का इलाज किया जाता था तथा मरीजों को पाँच लाख तक की सुविधा मिलती थी जिससे वो झारखण्ड के बाहर जाकर भी	**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण**

01.	02.	03.	04.
		अपना ईलाज करा लेते थे लेकिन वर्तमान में इस योजना को बंद करके आयुष्मान कर दिया गया है जिसके कारण दिल्ली, भिल्लौर, कलकत्ता एवं अन्य बड़े संस्थानों में आयुष्मान कार्ड योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव अनुरोध है कि पूर्व की तरह जिला के माध्यम से स्वीकृत करते हुए मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी योजना को शुरू करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता है।	
03-	श्री सरयू राय स0वि0स0	देश की कोयला राजधानी धनबाद अंतराष्ट्रीय अपराध, कोयला चोरी, भ्रष्टाचार और भय की गिरफ्त में है। दुबई में बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा नियंत्रित अपराध समूह ने धनबाद और आसपास के छोटे-बड़े व्यवसायियों का जीना दूभर कर दिया है। व्यवसायी अपने कार्यालयों में बैठने से परहेज कर रहे है। केन्द्र सरकार की संस्थाएं सीबीआई, ईडी आदि की मौजूदगी के बावजूद केन्द्र सरकार नियंत्रित कोल बियरिंग क्षेत्र में धड़ल्ले से कोयले की चोरी एवं अवैध खनन हो रहा है। बीसीसीएल द्वारा नियुक्त आउटसोर्सिंग खनन कंपनियां भी इसमें संलिप्त है। धनबाद जिला का पुलिस-प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। भयादोहन की राशि नहीं चुकाने वाले व्यवसायी गोलियों के शिकार हो रहे है, उन्हें खुलेआम धमकियां मिल रही है। उनकी हत्या की जिम्मेदारी प्रिंस खान गिरोह खुलेआम ले रहा है। धनबाद के राजनीतिक समूह भी भयजनित असमंजस के आगोश में किंकत्वर्यविमूढ़ है। अपराध के विरोध में सशक्त आवाज नहीं उठने के कारण आमतौर पर आंदोलन से परहेज करने वाला व्यवसायी समाज स्वयं आगे आया। उनके आह्वान पर जनसहयोग से धनबाद एक दिन पूरी तरह बंद रहा। **धनबाद जिला**	**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन**

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने सत्याग्रह आरंभ किया तो राज्य सरकार सजग हुई, कार्रवाई का आश्वासन दिया, एटीएस का गठन किया, दुबई में बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान का प्रत्यावर्तन करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भेजा, परन्तु अभी तक कोई नतीजा नही निकला। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ और राज्य सरकार से धनबाद को अपराध, भय, भ्रष्टाचार, कोयला चोरी के आतंक से मुक्त करने के लिए गैंगस्टर प्रिंस खान का प्रत्यावर्तन कराने का हरसंभव उपाय करने, गैंगस्टर नियंत्रित अपराधिक समूह का खात्मा करने, धनबाद में भयरहित वातावरण बनाने की दिशा में सशक्त पहल करने एवं ठोस कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।	
04-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	पथ प्रमंडल धनबाद के अन्तर्गत श्रमिक चौक बरवअड्डा पथ (4-लेन) एवं गोल बिल्डींग से काको मठ पथ (8-लेन) के हीरक प्वांइट चौराहे पर हजारों छोटी बड़ी गाड़ियों के आवागमन के कारण वहाँ रोज दुर्घटना की संभावना बनी रहती है एवं फ्लाईओभर के आभाव में वहाँ दुर्घटनाएं हो भी रही है। उल्लेखनीय है कि विभाग ने सैद्धांतिक रूप से इस चौराहे पर फ्लाईओभर के आवश्यकता को गंभीरता के साथ महसुस करते हुए सरकार को हरी झंडी दे दी है। जो विभाग के पत्रांक-1038, दिनांक- 26.07.2023 में उल्लिखित है। बावजूद इसके एतद् संबंध आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है जिस कारण लोगों के मन में गंभीर दुर्घटना के भय से निराशा व्याप्त हो रही है। अतः सदन के माध्यम से लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं मांग करता हूँ कि उपर वर्णित फ्लाईओभर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया त्वरित गति से चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की जाये।	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
05-	श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0 श्री सोनाराम सिंकू स0वि0स0	पूरे राज्य के सरकारी विद्यालय अब भी शिक्षकों की बाट जोह रहा है। राज्य में शायद ही ऐसा प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालय है जहाँ स्थाई शिक्षक पूर्ण रूपेण कार्यरत है। प्रारंभिक शिक्षा पिछले 20 वर्षो से लगभग 60,000 सहायक शिक्षकों के भरोसे चल रही है। इसमें 14042 शिक्षक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उर्त्तीण है। साथ ही इन्होने आकलन परीक्षा भी दिये है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें मानदेय देने हेतु नियमावली बनायी है परन्तु इनके द्वारा वेतनमान/अनुकम्पा का लाभ/सेवानिवृत्ति पश्चात् एकमुक्त राशि/आकलन सफल अध्यापकों को बिहार के तर्ज पर नियोजन इत्यादि कई आवश्यक मांग किये जा रहे है। अतः छात्र हीत एवं सहायक शिक्षकों के हीत को देखते हुए इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

राँची,
दिनांक- 18 दिसम्बर, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-66/2023-2381/वि0 स0, राँची, दिनांक-16/12/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023
(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-66/2023-2381/वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/12/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2023
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

3/pm
16.12.23